

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/EC/124/2017-18/10610

24.04.2018

CIRCULAR No. 252 /2018


This is to inform that Export Promotion Council for EOUs and SEZs (EPCES) has been set up for Ministry of Commerce & Industry to service the export promotional needs of 100% EOUs, SEZ Units and SEZ Developer in the country.

In this context, the Ministry of Commerce and Industry vide Gazette Notification GSR 771 (E) dated 05.08.2016 (copy enclosed) has amended the SEZ Rules 2006 by inserting the clause in rule 22, in sub-rule (1), after clause (iv).

“(V) The Unit of the developer including co-developer shall obtain a Registration-cum-Membership Certificate for availing exemptions, drawbacks and concessions.”

It is therefore requested to take note of the aforesaid amendment.

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(PL. Muthu)

Asstt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ.

Encl: as above

To,

SEZ developers and units located therein under the Jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/ईसी/124/2017-18/10610

दिनांक 24.4.2018

परिपत्र संख्या 252 / 2018


यह सूचित करना है कि ईओयू तथा सेज़ों (ईपीसीईएस) के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषद का उद्देश्य देश में 100% ईओयू, सेज़ यूनिटों तथा सेज़ विकासकों के निर्यात संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ावा देना है।

इस संबंध में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 05.8.2016 की राजपत्र अधिसूचना (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सेज़ नियमावली, 2006 में नियम 22 के उप नियम (1) में खंड (IV) के पश्चात खंड (V) को अन्तर्निविष्ट करते हुए इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

“(V) यूनिट का विकासक जिसमें सह विकासक भी शामिल है, छूट, शुल्क वापसी तथा रियायतों का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।”

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखा जाए।

यह विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(पीएल. मुथु) 24/4/18
सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रति:-

विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अधिकार - क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ विकासक तथा उनमें स्थित यूनिट।


समय-जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938

No. 547]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सां. का. नि. 771(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के, उप नियम (1) में खण्ड (य च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(य छ) “रजिस्ट्री - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र” से निर्यातान्मुख यूनितों और विशेष आर्थिक जोन को निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किया गया सदस्यता प्रमाण पत्र अभिप्रेत है।”।

3. मूल नियम में, नियम 22 के, उप-नियम (1) में खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(v) "यूनिट या विकासकर्ता जिसके अंतर्गत सह - विकासकर्ता भी है छूट, वापसी और रियायतें प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे।"

[फा. सं. सी-2/2/2016- एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 627(अ), तारीख 6 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub rule (1) after clause (zf), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zg) “Registration-cum-Membership Certificate” means the membership certificate issued by Export Promotion Council for Export Oriented Units and Special Economic Zones.”.

3. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (1), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) The Unit or the developer including co-developer shall obtain a Registration-cum-Membership Certificate for availing exemptions, drawbacks and concessions.”.

[F. No. C-2/2/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide G.S.R 627(E), dated the 6th August, 2015.

